

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1572(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30.03.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 458(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 'श्री गुरुवायुराप्पन भजन समाज ट्रस्ट, नं० 1 टैंक रोड, उलसूर लेक के सामने, बंगलौर-560042" द्वारा "उन्नति, सुविधा से वंचितों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्र" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 2 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 838(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 485 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अनुमानित लागत को दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 485 (अ) द्वारा '7 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 10.17 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 22.71 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत को '15 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 22.71 करोड़ रुपये से

'15 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 23.85 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 15 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 22.71 करोड़ रुपये से '15 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 23.85 करोड़ रुपये तक संशोधित करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) "श्री गुरुवायुराप्पन भजन समाज ट्रस्ट, नं० 1 टैंक रोड, उलसूर लेक के सामने, बंगलौर-560042" द्वारा चलाई जा रही 'उन्नति, सुविधा से वंचितों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) दिनांक 30 मार्च, 2006 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 458(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 2, कालम (4) के सामने सारणी में, "15 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 22.71 करोड़ रुपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "15 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 23.85 करोड़ रुपये" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं.142 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)